प्रेस विज्ञप्ति

20.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत चल रही जांच के सिलसिले में 18.12.2025 को **मेसर्स जयश्री इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** के प्रबंध निदेशक काकरला श्रीनिवास को गिरफ्तार किया है।

ईडी ने साइबराबाद पुलिस द्वारा मेसर्स जयश्री इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके प्रबंध निदेशक काकरला श्रीनिवास, मेसर्स जयश्री रिलायबिलिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 और तेलंगाना राज्य वित्तीय संस्थानों के जमाकर्ताओं के संरक्षण अधिनियम, 1999 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। उक्त एफआईआर घर खरीदारों और निवेशकों द्वारा दायर शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई थीं, जिनमें रियल एस्टेट विकास के बहाने एकत्र की गई धनराशि में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और गबन का आरोप लगाया गया था। पीड़ितों को प्री-लॉन्च फ्लैट, वाणिज्यिक इकाइयां, मेट्रो स्टेशन पर स्टॉल और सुनिश्चित किराये के लाभ का वादा किया गया था, जो कभी पूरा नहीं हुआ।

ईडी की जांच में पता चला कि काकरला श्रीनिवास ने घर खरीदारों को धोखा देकर कुल 61 करोड़ रुपये की अपराध-जनित आय (पीओसी) अर्जित की थी। बैंक खातों के विश्लेषण से पता चला कि पीओसी को कई बैंक खातों के माध्यम से जमा किया गया था, जिसके बाद समूह कंपनियों, निदेशकों, परिवार के सदस्यों को धन हस्तांतरण किया गया और बड़ी मात्रा में नकद निकासी भी की गई। धन का उपयोग अचल संपत्तियों के अधिग्रहण, असंबंधित देनदारियों के भुगतान और प्रॉक्सी संस्थाओं के माध्यम से धन के संचलन के लिए भी किया गया था, जिससे इसके वास्तविक स्रोत और स्वामित्व को छिपाया जा सके।

काकरला श्रीनिवास को 21.05.2025 को केपीएचबी पुलिस स्टेशन, साइबराबाद द्वारा एफआईआर 647/2023 के तहत गिरफ्तार किया गया था और 18.07.2025 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इसके बाद वह फरार हो गया और उसके आवासीय और कार्यालय पते पर कई बार समन जारी किए जाने के बावजूद उसका पता नहीं चल पाया। जांच के दौरान, उसका पता लगाने के प्रयास किए गए। हालांकि, वह 9 स्थानों पर नहीं मिला। आठ परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए जिनसे पता चला कि व्यक्तिगत पहचान पत्र (POC) को अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं को हस्तांतरित और स्थानांतरित किया गया था। हालांकि, उक्त तलाशी अभियान के दौरान भी काकरला श्रीनिवास का पता नहीं चल सका।

समय के साथ जुटाई गई सूचनाओं और विकसित खुफिया जानकारी से संकेत मिला कि काकरला श्रीनिवास 18.12.2025 को चेन्नई में कुछ संपत्तियों की गुप्त खरीद-बिक्री के सिलसिले में कुछ व्यक्तियों से मिलने वाला था। तदनुसार, ईडी हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने 18.12.2025 की शाम को टावर्स क्लब, अन्ना नगर, चेन्नई से काकरला श्रीनिवास को गिरफ्तार किया।

काकरला श्रीनिवास को 19.12.2025 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और न्यायालय ने उन्हें 31.12.2025 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

आगे की जांच जारी है।